

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय टिप्पणी

राज. सरकार के जरिये ~~बनाया~~ आशीषदुआ

द्वारा

मु.नं. 39/2020

द्वारा 177 RT Act 1955

28-01-2021 पत्रावली पेश हुई। परोक्षर सरकार उप
वास्ते नलकी अग्रणीगण द्वारा
10-3-21 को पेश हो।

मिलकीड इन्फार्म
(गुप्त) जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

10-3-2021

पत्रावली पेश हुई। परोक्षर सरकार उप
अग्रणी की तरफ से एक धार्मिक पत्र पेश
किया गया जो शामिल मिसल है।
जिसमें उद्यत किया गया है कि प्रकरण में
वर्णित खसरा नं. 3871 रकबा 0.03 हेक्टर
वाड़े ग्राम सीलापुर को कृषि भूमि से
आवासीय प्रयोजनार्थ अनुन्तरणा अधिनियम
के तहत इस कार्यालय में पेश की जा
चुकी है। जिसमें राजकोष में जरिये
पालन राशि राजकोष में जमा हो
चुकी है। अतः प्रकरण को आगे
पालन का कोई औचित्य प्रतीत
नहीं होता है। अतः वाह पत्र
द्वारा 177 RT Act 1955 के

मिलकीड इन्फार्म
(गुप्त) जानकारी

प्रकाशक
मिलकीड इन्फार्म
(गुप्त) जानकारी

तहत पूर्णतया अनुकूल है। अतः वाह
पत्र खारिज किया जाता है। कमल
शुभर तोकुर दायित्व क्षेत्र क्षेत्र नभरले
कम हो

प्रकाशक
मिलकीड इन्फार्म
(गुप्त) जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)